हिमाचल प्रदेश

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

अध्यापन कौशल को निखारता है अध्यापक-प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम तकनीकों का समावेश

शिक्षा की धुरी अध्यापकों के इर्द–गिर्द ही घूमती है और अपने अध्यापन में निरन्तर निपुणता लाना एक अच्छे अध्यापक की पहचान है। अध्यापक अपने अध्यापन में निखार ला सकें और अपने शिष्यों के लिए शिक्षा को रुचिकर एवं आनन्दमयी बनाने के साथ–साथ समय की मांग के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। यह प्रशिक्षण उन्हें सेवा में आने से पूर्व तथा सेवाकाल के दौरान भी दिया जाता है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को अद्यतन जानकारी से परिपूर्ण करना, उनके व्यावसायिक ज्ञान एवं कौशल को विकसित करना ताकि वे बेहतर ढंगर से अध्यापन कार्य का निष्पादन कर सकें। वर्तमान में प्रदेश में अध्यापकों को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों से संबंधित होता है।

सभी अध्यापक प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकें इसके लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खण्ड स्तर पर और संकुल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम :

इस वर्ष प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सभी जिलों से पांच–पांच जेबीटी अध्यापक चयनित किए गए हैं। इन अध्यापकों को राज्य स्तर पर छः दिवसीय प्रशिक्षण गुणात्मक शिक्षा के लिए चलाए जा रहे आधार एवं आधार प्लस कार्यक्रम से संबंधित दिया जाएगा। तत्पश्चात यही प्रशिक्षण जिला, खण्ड व संकुल स्तर पर भी होगा।

सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए जिले में चार दिन का विषय विशेष प्रशिक्षण होगा। पांच दिन का प्रशिक्षण संकुल स्तर पर दिया जाएगा जिसमें टीएलएम, विषय आधारित प्रशिक्षण, डायग्नॉस्टिक अध्यापन, अडैप्ट्स, सामुदायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व निर्धारित मॉड्यूल एवं अध्ययन सामग्री पर आधारित होगा। जिसके लिए प्रदेश के जेबीटी अध्यापकों के सहयोग से 29–30 अप्रैल, 2009 को राज्य स्तर पर सामग्री तैयार की गई है।

संकुल स्तर पर प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक डाइट द्वारा मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे जो आगे जाकर कलस्टर पर अध्यापकों को प्रशिक्षण देंगे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निरन्तर मॉनीटरिंग का भी प्रावधान है। जिसकी रिपोर्ट राज्य परियोजना निदेशक को सौंपी जाएगीं यह प्रशिक्षण अध्यापकों के लिए अनिवार्य है। रविवार के दिन कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम :

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए अलग से शिक्षा कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों पर विशेष बल दिया गया है। अतः इन विषयों संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्य स्तर पर इन विषयों संबंधी मास्टर ट्रेनर्ज को पांच–पांच दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर्ज डाइट्स में अध्यापक प्रशिक्षण प्रभारी के सहयोग से जिला स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। इसी प्रकार यह प्रशिक्षण ब्लॉक व संकुल स्तर पर भी दिया जाएगा।

ब्लॉक स्तर पर चार दिन का सामान्य प्रशिक्षण होगा। जिला स्तर पर अन्य विषयों का प्रशिक्षण यथावत चलता रहेगा। संकुल स्तर पर प्रशिक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं पर चर्चा होगी :

1. मूल्यांकन पद्धति, 2. स्कूल विकास योजना,
3. अडैप्ट्स (ADEPTS), 4. डायग्नॉस्टिक अध्यापन,
5. पुस्तकालय का प्रयोग

इसके अलावा इस वर्ष पहली बार शिक्षा विभाग के सभी शारीरिक शिक्षकों को मई माह में नैतिक शिक्षा एवं योग शिक्षा का दस दिवसीय प्रशिक्षण हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ द्वारा दिया जाएगा। शेष पांच दिन इन्हीं शिक्षकों को सामान्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये शिक्षक इसी सत्र से स्कूलों में कार्यक्रम लागू करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यक्रम चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक योग शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं के लिए ही चलाया जा रहा था, अब लड़के भी इसका लाभ उठा पाएंगे।

अधिगम प्रसार कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण

(Learning Enhancement Programme)

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाए जा रहे अधिगम प्रसार कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से मास्टर ट्रेनर्ज़ को प्रशिक्षित किया गया। ये मास्टर ट्रेनर्ज़ खण्ड स्तर पर यह प्रशिक्षण सभी प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (विज्ञान तथा गणित) को देंगे। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर गणित एवं विज्ञान के प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं तथा पुस्तक 'Activity based book Vol. 1' प्रकाशित की जा रही है जिसे स्कूलों में वितरित किया जाएगा। इससे बच्चों में गणित व विज्ञान विषयों के प्रति रुचि बढ़ेगी और उनके ज्ञान को भी विस्तार मिलेगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रयास हैं इस कार्यक्रम की मॉनीटरिंग भी खण्ड स्तर पर खण्ड स्रोत समन्वयक करेंगे और अपनी रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को सौंपेंगे।

'Activity based book Vol. II' भी प्रकाशित की जा रही है और उसके लिए भी अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पुस्तक अध्यापकों को उनके अध्यापन कौशल को विकसित करने में सहायक होगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी विद्यालय प्रमुखों (प्रधानाचार्यों तथा मुख्याध्यापकों) को अभियान की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया जाता है। इस बारे उनके प्रशिक्षण का जिम्मा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) को सौंपा गया है। SCERT इन सभी प्रमुखों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसके तहत प्रशासनिक, वित्त एवं अन्य गतिविधियों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत करवाए जा रहे ये सभी प्रशिक्षण विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को सुधारने एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे।

अध्यापक प्रशिक्षण के मुख्य पहलू

आधार कार्यक्रम :

हिमाचल प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2006 से प्राथमिक पाठशालाओं में आधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके तहत बच्चों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार सामग्री के आधार पर अध्यापकों द्वारा बच्चों के पढ़ने, लिखने एवं गणितीय कौशल को विकसित किया जाता है और उन्हें उनके स्तर के अनुसार विभिन्न समूहों में रखा जाता है। तत्पश्चात अध्यापक बच्चे का मिडटर्म असैस्मेंट तथा टर्मिनल असैस्मेंट करता है। इन सभी गतिविधियों के लिए प्रतिदिन प्रातःकालीन सभा के पश्चात डेढ़ घंटे की अवधि निर्धारित रहती है।

वर्ष 2009 में इस कार्यक्रम हेतु तैयार सामग्री को संशोधित कर सभी पाठशालाओं में उपलब्ध करवाया गया है। सभी स्कूलों में चलाए जा रहे सतत् समग्र मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत इन बच्चों का असैस्मेंट होगा।

आधार प्लस (शिखर) :

आधार कार्यक्रम के पश्चात बच्चों को आधार प्लस कार्यक्रम से जोड़े जाने की योजना है। पढ़ने–लिखने का कौशल सीखने के बाद बच्चा अपने सभी विषयों में कम से कम दस बिन्दुओं पर ज्ञान प्राप्त करेगा। यानी भाषा, गणित पर्यावरण शिक्षा व अंग्रेजी विषयों पर बच्चों को नवीनतम सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। यह कार्यक्रम 1–5 कक्षाओं में तीन स्तरों पर चलेगा। पहले स्तर में कक्षा I-II, दूसरे में कक्षा III-IV, तथा तीसरे स्तर में कक्षा V को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम भी प्रातःकालीन सभा के पश्चात दो घंटे की अवधि के दौरान चलाया जाएगा जिसमें अध्यापक बच्चों के साथ इन तीनों स्तरों पर कार्य करेगा। इस कार्यक्रम की मासिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बच्चों का मूल्यांकन एक पृथक प्रपत्र पर किया जाएगा।

सतत् समग्र मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण :

वर्ष 2009 से प्रदेश की सभी प्राथमिक पाठशालाओं में सतत समग्र मूल्यांकन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसके लिए भी प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें निम्न मुद्दों पर चर्चा होगी–

- सतत् समग्र मूल्यांकन एवं परीक्षा में अन्तर
- सतत् समग्र मूल्यांकन की विशेषता
- स्कूल स्तर पर सतत् समग्र मूल्यांकन का कार्यान्वयन
- सतत् समग्र मूल्यांकन में अभिभावकों की भूमिका

लैंगिक संवेदनशीलता हेतु प्रशिक्षण :

लैंगिक संवेदनशीलता हेतु प्रत्येक स्तर – राज्य, जिला, खण्ड एवं संकुल स्तर पर मास्टर ट्रेनर्ज को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत निम्न बिंदुओं पर चर्चा होती है :–

- कक्षा–कक्ष में बालिकाओं को पढ़ने–पढ़ाने की प्रक्रिया से जोड़ना
- सह शैक्षिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना
- बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु मीना मंच का गठन

समुदाय सहभागिता हेतु प्रशिक्षण :

इसके तहत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, मातृ अध्यापक संघों तथा शक्ति समूहों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वर्ष प्रशिक्षण के दौरान निम्न मुद्दों को केन्द्र में रखा जाएगा।

- सतत् समग्र मूल्यांकन
- बच्चों के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु रणनीति तैयार करना
- मूल्य शिक्षा में स्वअनुशासन पर चर्चा

शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) :

ऐसी सामग्री जिससे बच्चा स्वयं करके सीखता है और सिखाने में अध्यापक की भूमिका सहायक के रूप में होती है।

शिक्षण अधिगम सामग्री की शिक्षण सहायक सामग्री से भिन्नता :

शिक्षण सहायक सामग्री (TLE) अध्यापक के लिए किसी भी अवधारणा को बच्चे को समझाने में सहायक होती है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षक को पढ़ाने में सहायक होती है। जबकि शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के अधिगम में सहायता करती है। इसके प्रयोग से बच्चों को शिक्षक की सहायता की आवश्यकता तो रहती ही है पर इस सहायता की मात्रा न्यूनतम स्तर तक घटाई जा सकती है।

संवेदी अनुभव बच्चों के आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा सभी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानार्जन के लिए उपयोग के अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वह संवेदी अनुभूतियां शिक्षण साधनों द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएं जो उनके ज्ञान का संवर्धन करती हों और वे विद्यार्थी के जाने पहचाने उपकरण हों।

भूल जाते हम जब हैं सुनते,
देखें तो बस जाले बुनते,
स्वयं करें तो समझ में आए,
कांटों से हम फूल हैं चुनते।

शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता :

- कक्षा–कक्ष मे शिक्षण कार्य को आकर्षक रूचिपूर्ण एवं ग्राह्य बनाने मे उपयोगी होता है।
- विषय को सरल स्पष्ट और सरस बनाने के लिए भी उपयोगी है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हितकारी होता है।
- मौखिक कार्य को कम करने के लिए उपयोगी होता है।
- बच्चों के अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उपयोगी होता है।
- जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है।
- व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार बच्चों को कार्य करने में सक्षम करती है।
- ज्ञानेन्द्रियों को प्रभावित कर सकारात्मक सोच में सक्षम करती है।
- बहुश्रेणी एवं बहुस्तरीय शिक्षण मे अत्याधिक प्रभावशाली है।

सावधानियां

1. **शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग आवश्यकता अनुसार हो।**
2. **शिक्षण अधिगम सामग्री विष्यवस्तु से अधिक न हो।**
3. **सामग्री बालकों के बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए।**
4. **सामग्री नवीन हो।**
5. **यदि संभव हो तो प्रत्येक बच्चे को सामग्री उपलब्ध कराई जाए।**

सम्भावित शिक्षण अधिगम सामग्री सूची :

1. **इसके अन्तर्गत विषय अनुसार व छात्रों के स्तरानुसार विभिन्न प्रकार के चार्टस प्रयोग किए जाते हैं जो सीखने सिखाने में सहायक होते हैं।**
2. **विषय सम्बन्धी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए अलग–अलग प्रकार के सम्भावित मॉडल तैयार करके बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं।**
3. **कठिन विषयों को सरल रूप से स्पष्ट करने के लिए टी.एल.एम. के अन्तर्गत फ्लैश कार्ड का भी उपयोग किया जाता है। यह बच्चों को वितरित किये जाते हैं और विभिन्न शिक्षण विधियों की सहायता से उनके द्वारा शिक्षण सुचारू रहता है।**
4. **अन्य टी.एल.एम. कहानी नाटक एवम् गतिविधियां तथा उपरोक्त वर्णित शिक्षण अधिगम सामग्री के अन्तर्गत विषय वस्तु को सरल, रोचक व बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री अतिरिक्त रूप में प्रयोग में लाई जाती है जिसमें सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, कठपुतली, खिलौने, विभिन्न प्रकार की गेंदें, गुब्बारे, नक्शे आदि भी हो सकते हैं।**

एक अच्छी कक्षा के संचालन में शिक्षण सामग्री का विशेष महत्त्व है। खासतौर पर जब हम गतिविधि आधारित बाल केन्द्रित शिक्षा, खेल–खेल में शिक्षा बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो यह ध्यान में रखना होगा कि केवल सामग्री ही अपने आप में समस्या का हल नहीं है। अध्यापक को चाहिए कि अध्यापन शिक्षण सामग्री व अन्य सहायक सामग्री विशेष रूप से दृश्य व श्रव्य साधन सामग्री का प्रयोग कर पाठ्यवस्तु को रूचिकर बनाने में सहायता प्रदान करें।

शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण व प्रयोग में कुछ मुख्य बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

शिक्षण-अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए :

- जो बालक,बालिकाओं के अनुभवों के आधार को बढ़ाए। यह तभी हो सकता है जब वे नए अनुभवों को प्रदान करने के लिए बनाई गई परिस्थितियों व की जाने वाली गतिविधियों में स्वेच्छा से हिस्सा लें।
- सामग्री का निर्माण बच्चों के स्तर व मनोविज्ञान के आधार पर होना चाहिए।
- शिक्षण अधिगम सामगी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के आगे बढ़ने की गति को स्वतन्त्रता दें और वे गतिविधि में खुलकर भाग ले सकें, बोल सकें, चर्चा कर सकें।
- शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसे तैयार की गई हो जो बच्चों को अपनी बात करने को प्रेरित करे और जिसमें बच्चे की भाषाई क्षमता को नई चुनौतियां मिलें तथा नई चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा व सामर्थ्य भी मिले। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब बच्चे उसके बनाने में पूरे मन से भागीदार हों।
- बच्चे उन्हें आसानी से पकड़कर उठा सकें तथा वे शरीर के लिए हानिकारक न हो।
- अधिगम सामग्री के साथ जो भी गतिविधियां हों, उनमें सबको आनन्द आये, सबकी क्षमताओं को चुनौती मिले, सबको चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना करने का मानसिक संतोष मिले।
- किसी भी प्रक्रिया को शिक्षण की प्रक्रिया कहे जाने के लिए आवश्यक है कि उस प्रक्रिया में समझ का विकास हो रहा हो। समझ का आधार अनुभव होते हैं। अतः बच्चों की समझ के विकास का एक मात्र रास्ता उसके लिए विभिन्न अनुभव देने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना तथा उसी की अवधारणा को समझने के लिए समझ विकसित होना आवश्यक है और इस समझ के विकास के लिए हम कई गतिविधियां करते हैं या विधियां अपनाते हैं। जिनमें शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग भी एक है।

> ### खण्ड स्रोत समन्वयकों से...
>
> आगामी अंकों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में खण्ड स्तर पर 'सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियां एवं उपलब्धियां' शीर्षक से भी एक कालम प्रकाशित किया जाएगा जिसकी हर कड़ी में एक नया शिक्षा खण्ड शामिल होगा। खण्ड स्रोत समन्वयक अपने खण्ड की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों को फोटो सहित हमारे पते पर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों से भी प्रारंभिक शिक्षा संबंधी विभिन्न लेख/रचनाएं इस पृष्ठ हेतु निम्न पते पर आमंत्रित हैं।
>
> **राजेश शर्मा**
> **राज्य परियोजना निदेशक,**
> **राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान),**
> **डी.पी.ई.पी.भवन, लाल पानी, शिमला–171001**
> दूरभाष : 2658668, फैक्स : 2808624

अडैप्ट्स (ADEPTS) :

अध्यापक सहयोग द्वारा शैक्षिक कार्य दक्षता का विस्तार :

भारत सरकार के मानव संसाधन मन्त्रलय ने शिक्षा विभाग में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले शिक्षा संगठनों/ संस्थाओं एवं व्यक्तियों के लिए प्राप्य मानक व मापदण्ड निर्धारित किए हैं ताकि उनके कार्यों में पूर्ण दक्षता एवं सुचारूपन लाया जा सके। ये मानक अध्यापकों, स्कूल प्रमुखों, डाइट संकायों, खण्ड व संकुल स्रोत केन्द्र समन्वयकों एवं एससीईआरटी (SCRET) सभी के लिए सुझाए गए हैं। जिनका चयन संबंधित व्यक्ति एवं संस्था अपनी सुविधानुसार कर सकती है।

इसी संदर्भ में संकुल स्रोत केन्द्र समन्वयकों के लिए सुझाए गए मानकों पर एक नजर :

प्रभावी सम्बन्ध व अभिप्रेरणा सम्बन्धी कार्य :

- प्रत्येक में अन्योन्य विभिन्न कार्यों की अवधि एवं प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
- पाठशाला का नियमित निरीक्षण करना।
- अध्यापकों के कार्य विभिन्न रूपों में पहचानना।
- अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु स्रोत व्यक्ति के रूप में शामिल होकर बड़े समूह का निर्माण करना।
- संसाधन विकसित करने के लिए अध्यापकों को सम्मिलित करना।
- अध्यापकों एवं पाठशाला के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाना न कि मात्र त्रुटि निकालने का कार्य करना।
- एक आदर्श अध्यापक/ अध्यापिका की भूमिका निभाना।
- अध्यापकों और विद्यार्थियों को छोटे –छोटे अवसर प्रदान करना, सफलता को मान्यता देना व सराहना।
- अध्यापकों के प्रति मित्रतापूर्ण, समानता का भाव रखना तथा अध्यापकों में छुपे कौशल की पहचान करना।
- स्वयं अभिप्रेरित, परिवर्तनशील और दूसरों में उत्साह पैदा करना।
- लगातार सभी सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि से शिक्षा व विद्यालय विकास से जुड़ी चर्चा करना व नये अनुभव बांटना।
- दावेदार (Stake Holder) व सम्बन्धित संस्थाओं के अनुभवों व विचारों को प्रकाशित करना व उन्हें महत्त्व देना।
- मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाओं (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गैर सरकारी संस्थाओं व विशेषज्ञों) को सभी स्तर पर योजना क्रियान्वयन में शामिल करना।

उत्कृष्ट कार्य की दूरदर्शिता स्थापित करना तथा लक्ष्य निर्धारित करना :

- प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता – समस्या उनका समाधान,कक्षा में सीखने सिखाने में आने वाली समस्याओं एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करना।
- सभी के साथ मिलकर अपने व दूसरे के संसाधनों और लक्ष्य का निर्धारण करना।
- अपने आप और दूसरों में सर्व शिक्षा अभियान के साधारण लक्ष्यों के प्रति समझ बनाना।
- एक दीर्घकालीन व अल्पकालीन लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना बनाना।
- केन्द्र की आवश्यकता, प्राथमिकता व उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक सुधारात्मक योजना का निर्माण करना। (यह स्थायी न होकर परिवर्तनशील हो)
- अध्यापकों, मुख्याध्यापकों, खण्ड व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से मिले मागदर्शन के आधार पर वार्षिक कलैण्डर तैयार करना।
- प्रत्येक पाठशाला के लिए निश्चित अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित करना।

सुनियोजित उपायों के माध्यम से क्षमता निर्माण:

- केन्द्र स्तर पर संकुल विकास योजना तैयार करना।
- नियमित मासिक बैठक – केन्द्र स्तर पर पुनः चर्चा, अनुभवों को बांटना, समस्याओं को पहचानना व योजनाओं को तैयार करना।
- केन्द्र स्तर पर पाठशालाओं में होने वाले अच्छी गतिविधियों को अध्यापकों में सांझा करना व लाभप्रद शैक्षिक भ्रमण कराना।
- अध्यापक की अपनी कक्षाओं के लिए योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना।
- अध्यापकों व पाठशालाओं की पूर्ण जानकारी रखना। अध्यापकों को कक्षा–कक्ष में आई कठिनाईयों के समाधान का प्रयास करना।
- आदर्श पाठ प्रस्तुत करना।
- क्रियात्मक शोध हेतु अध्यापक प्रशिक्षण देना ताकि वे समस्याओं का समाधान कर सके।
- पाठशाला निरीक्षण : वास्तविक कक्षा शिक्षण, समूह चर्चा , अध्यापकों के आत्म विश्वास को बढ़ाना तथा दूसरी पाठशाला में अच्छे अनुभवों को बांटना।
- पाठशाला, ग्राम व केन्द्र स्तर पर बच्चों के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना व करवाना। कार्यक्रम जैसे प्रश्नोत्तरी , खेलकूद कार्यक्रम इत्यादि।
- संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं पाठशाला शिक्षण के माध्यम से स्वयं का व अध्यापकों का क्षमता निर्माण करना।

निर्देशक व निर्धारक सम्बन्धी कार्य :

- छात्र की प्रगति जांचना, उनके साथ कठिन बिन्दुओं पर चर्चा करना, यदि आवश्यक हो तो कक्षा कक्ष में समझाना या प्रदर्शन करना।
- छात्र नामाकंन, उपस्थिति, ठहराव व उपलब्धि के बारे में जानकारी होना।
- प्रत्येक छात्र की प्रगति का अभिलेख रखना सुनिश्चित बनाना।
- विभिन्न स्तरों पर अध्यापक के कार्यों की जांच।
- अनुश्रवण प्रपत्रों को मुख्याध्यापकों, अध्यापकों तथा ग्रामीण शिक्षा समिति के साथ सांझा करना तथा अनुश्रवण समय निश्चित करना।
- अध्यापकों के समय पर कार्य करने को सुनिश्चित करना।
- संग्रहित आंकड़ों को संसाधक व्यक्ति के रूप में विश्लेषित कर उसमें सुधार के उपाय करना।
- विभिन्न कार्यों की प्रति–पुष्टि प्राप्त करना।
- बेहतर अनुश्रवण प्रणाली अपनाना।
- अध्यापकों के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व उसका प्रभाव जांचना।
- अध्यापकों को आंकड़ों पर आधारित सूचनाएं एकत्रित करने में समुदाय का सहयोग लेना।

अंत में संसाधक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मानक प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर चर्चा।

इसी प्रकार के मानक विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों तथा संस्थानों द्वारा अपने स्तर पर निर्धारित किए जा सकते हैं। व्यक्ति विशेष अपनी इच्छानुसार अपने लिए मानक निर्धारित कर उनकी प्राप्ति का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार से न सिर्फ उनकी अपनी कार्य दक्षता विकसित होगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक सुधार लाया जा सकेगा।

प्रस्तुति : **ज्योति रावत**

बच्चा सीखे खुद कर-करके
शिक्षक बने सहायक
सर्व शिक्षा अभियान बना है
युग का अब महानायक